

किंगोदीकाठ

No. 1 लगापत 03. स्वयं उपाधित ही पक्षकारन

विनोदलाल

निर्गंगाकाठ

द्वारा कापती सहमति से राजीनामा युद्ध कर  
बादनी के हिस्से की 1/4 भाग इराजरी पुथक  
खाले दर्ज करने में कोई कापती नहीं लेना चाहिए

सै. 92 लाल (विप्रा ही)

कतः मुगाविष्ठ राजीनामा इच्छे श

रिखा जाता है कि ग्राम मनपसर के माल की  
खालेनी सं. 351 के खण्ड 5 2 की 4-08 बीघा,  
53 की 3-08 बीघा, 54 की 1-05 बीघा कुल  
डिग 3 की 9-01 बीघा इराजरी में से बादनी  
का हिस्सा 1/4 इराजरी पुथक खाले दर्ज करने  
हुए राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार  
विभाजन पत्र तैयार कर पेश करे की विभाजन  
पत्र तैयार करने हुए पञ्चायती हलकों मनपसर के  
P.D की जाते पालनार्थ दी जाकर पालन  
दिनांक 30/6/18 से पूर्व चाही जाकर पेश हो

1CA 07-05-18

अध्यक्ष  
लोक अदालत  
मनोहरथाना (झालावाड़)

27-11-19 पडावकी पेश हुनी/ वकील वाकी उप.। पडावकी में कानून  
विकी जारी हो चुकी ही पडावकी मैमम शुपार हुना  
बाय वापिस वकील कोवल वपस हुना म्म  
से का हो

उपखण्ड अधिकारी  
मनोहरथाना, जिला झालावाड़